


245

न्यायालयश्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म० प्र०

प्रकरण क्रमांक

C.F. 10/11
D/F. 5/11

R. 2359-II/12



श्री अन्ताक्यात
श्रीमो दास वैद्य श्री
ने पत्र
9/7/12

शिवमूरति तनय रामकृपाल भुर्तिया निवासी ग्राम-रजहा
तहसील त्योथर जिला रीवा म. प्र.

-----नगरानीकर्ता

बनाम

1. राजेश पिता रामस्वरूप भुर्तिया सा. रजहा तहसील त्योथर
जिला रीवा म. प्र.
2. मध्यप्रदेश शासन

-----गैरनगरानीकर्तागण

नगरानी विरुद्ध सहसिलदार महोदय वृत्त-
रायपुर तहसील त्योथर के राजस्व प्रकरण
क्रमांक-50312/2010-2011 आदेश दिनांक-
11.06.2012.

नगरानी अंतर्गत धारा-50 म. प्र. भू-राजस्व
संहिता 1959ई. 1

मान्यवर,

नगरानी कासंक्षिप्त विवरण-

" " नगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम-
रजहा की आराजी नं. 120/1 रकवा 0.28ए. का सीमांकन प्रतिवेदन
राजस्व निरीक्षक व पटवारी हल्का के द्वारा गैरनगरानीकर्तागण से


नि.अ.
शिवमूरति भुर्तिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.2359-II/12

जिला-रीवा

शिवमूरति भुर्तिया / राजेश भुर्तिया

(1)	(2)	(3)
23.08.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> अदस्य</p>	